# Form No. III
## फर्द अहकाम
## (नियम 26)
### अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

कैलाश वगै0 बनाम जय सिह वगै0

किस्म मुकदमा.................225 आर टी एक्ट.............अपील संख्या 65/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.11.24 | अपील श्री रिषीराम मीना एड.ने पेश की। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अहलमद की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपीलांट अधिवक्ता एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 72/2024 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01.8.2024 के विरूद्व पेश की गई है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन होना अपीलांट ने स्वीकृत किया है। अपीलांट अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो अपास्त योग्य है। अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। चूकिः प्रकरण अभी अधिनस्थ न्यायालय मे विचारधीन है। जिसमे अपीलांट द्वारा जबाब पेश किया जाना शेष है। अतः अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण मे गैरसायलान की और से नियत दिनांक को जबाब पेश करे। अधिनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण मे जबाब प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष का सुना जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं प्राईमाफेसी केस का विवेचन किया जाकर प्रकरण को अन्दर 3 माह मे निस्तारण करे। अपील अपीलांट इसी स्तर पर निर्णित की जाती है। पत्रावली मे आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे।<br><br>राजस्व अपील प्राधिकारी<br>सवाई माधोपुर | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:54:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner